

कार्यालय नगर परिषद कानड जिला आगर-मालवा म.प्र.

क्र./निर्माण/निविदा/2026/672

कानड/दिनांक 28/04/26

(प्रथम ऑनलाईन निविदा आमंत्रण)

एतद द्वारा सभी पंजीकृत ठेकेदारों से नगर परिषद कानड जिला आगर-मालवा मे निम्न कार्य की आवश्यकता होने से (निविदा दिनांक तक लागू नवीनतम संशोधन लागू है) प्रतिशत आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक निविदादाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी ऑनलाईन निविदा दर ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी ई टेंडर वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदा एवं उसकी तिथियों में किसी भी प्रकार संशोधन/परिवर्तन/परिष्कारण होने की दशा में ऑनलाईन सूचना ही जारी की जावेगी पृथक से कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जावेगी। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक से तक डाउनलोड की जा सकती है।

S. N O.	Online Tondor no.	Namo of the work	Probable amount of contract (Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs)	Cost of Bld Document (In Rs)	Time of Completion
1		वार्ड क्रमांक 15 में अयोध्या बस्ती गौ-शाला में टीन शेड निर्माण कार्य	Rs 915882.14	Rs. 9200.00	Rs.2000.00	03 माह वर्षाकाल सहित

- निविदा प्रपत्र क्रम करते समय ठेकेदार को राक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति, फर्म होने की दशा में साझेदारी की डीड एवं पॉवर आफ एटार्नी की प्रति, वर्तमान में आयकर चुकता प्रमाण पत्र, G.S.T. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चुकता प्रमाण पत्र तथा नो रिलेशन प्रमाण-पत्र (100 रु. स्टाम्प नोटरीयुक्त) की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा की अमानत एवं टेंडर फार्म का शुल्क ऑनलाईन/निपट सिस्टम से ही मान्य होगा। आफ लाईन अमानत या अन्य राशि मान्य नहीं होगी।
- निविदा दर स्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार नगर परिषद कानड को होंगे। म.प्र. नगरपालिका वित्त एवं लेखा नियम 2018 दिनांक 13/08/2018 अनुसार निविदाकारों से अनुबंध सम्पादन के समय 3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जाना होगी। प्रत्येक रनिंग बिल से 7 प्रतिशत एस.डी. का कटौती किया जावेगा।
- अनुबंध संपादित होने के 15 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित ड्राइंग, डिजाईन (यदि आवश्यक हो तो) स्वयं के व्यय पर इंजीनियरिंग कॉलेज से तैयार कराई जाना होगी एवं मटेरियल, क्यूब की जांच रिपोर्ट भी ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात रनिंग देयक का भुगतान किया जावेगा।
- ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के पक्ष में नियमानुसार रनिंग देयक का भुगतान होगा। भुगतान से नियमानुसार आयकर, रॉयल्टी, GST, श्रम कल्याण उपकर का कटौती किया जावेगा।
- अंतिम देयक का अनुमोदन नियमानुसार मुख्य अभियंता /कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन विभाग से कराये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
- कार्य की मात्रा (स्पेसीफिकेशन) एवं प्राक्कलन, ड्राइंग, डिजाईन आदि में मौका स्थल पर आवश्यकतानुसार कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- निविदा शर्तों में किसी भी प्रकार संशोधन /परिवर्तन/परिष्कारण के अधिकार नगर परिषद कानड को होंगे। निविदा से संबंधित किसी प्रकार का संशोधन संबंधी सूचना विभाग की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जावेगी। सामाचार पत्रों में पृथक से सूचना प्रकाशित नहीं की जावेगी।
- निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं शर्त कार्यालयीन समय में अवकाश दिवस को छोड़कर निर्माण शाखा नगर परिषद कानड में देखी अथवा प्राप्त की जा सकती है।
- संचालनालय के आदेश क्र या.प्र./7/2017/13014 भोपाल दि 14/11/2017 के अनुसार वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी लागू किया गया है।
- निकाय की वित्तीय स्थिति अनुसार भुगतान किया जायेगा, निविदा स्वीकृति एवं अस्वीकृति का अधिकारी निकाय को होगा
- म.प्र. नगरपालिका वित्त एवं लेखा नियम 2018 दिनांक 13/08/2018 से प्रभावशील होने से निविदा में नवीन नियम लागू हैं।
- जारी उक्त निविदा में संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति में भविष्य में कार्य में परिवर्तन, सुधार होने पर निविदाकार के लिए उक्त परिवर्तन मान्य एवं बंधनकारी रहेंगे।

मुख्य नगर/निर्माण अधिकारी
नगर परिषद कानड
जिला आगर-मालवा

पृ.क्र./निर्माण/निविदा/2026/673

कानड/दिनांक 28/04/26

प्रतिलिपि :- -----ओर भेजकर लेख है कि उक्तानुसार ऑनलाईन निविदा का प्रकाशन कर देयक प्रस्तुत करें ।

मुख्य नगर/निर्माण अधिकारी
नगर परिषद कानड
जिला आगर-मालवा